

27 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

1. सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का समर्थन किया, बैलेट पेपर की बहाली से इनकार किया
2. ईवीएम को प्री-प्रोग्राम करना संभव नहीं: न्यायालय
3. नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने पर दोबारा मतदान कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

राजव्यवस्था:

1. मशीनों पर भरोसा रखें

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. अध्ययन में कहा गया है कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए सौर विकिरण उपलब्ध है
2. नीलगिरि तहर सर्वेक्षण में पर्यवेक्षक होंगे IUCN प्रतिनिधि

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का समर्थन किया, बैलेट पेपर की बहाली से इनकार किया

राज्यवस्था:

विषय: भारत में चुनाव

प्रारंभिक परीक्षा : ईवीएम

मुख्य परीक्षा : ईवीएम से जुड़े मुद्दे

प्रसंग: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को बरकरार रखने और बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने की याचिका को खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भारत की चुनावी प्रक्रिया में चुनावी अखंडता और तकनीकी प्रगति पर चल रही बहस को रेखांकित करता है।

समस्याएँ

- ईवीएम पर भरोसा: 1982 से उनके व्यापक उपयोग के बावजूद, ईवीएम की विश्वसनीयता और अखंडता के बारे में संदेह बना हुआ है, जिससे बैलेट पेपर के पुनरुद्धार की मांग उठ रही है।
- पारदर्शिता और सत्यापन: मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यापनीयता के संबंध में चिंताएं उठाई गई हैं, विशेष रूप से वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाइयों और ईवीएम और वीवीपीएटी के क्रॉस-सत्यापन के संबंध में।
- कानूनी ढांचा: चुनाव आचरण नियमों के नियम 49 एमए की जांच विसंगतियों की शिकायतों को दूर करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालती है।

महत्व

- चुनावी सुधार: ईवीएम के उपयोग को कायम रखना मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से चुनावी सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से भारतीय मतदाताओं के विशाल आकार और कागजी मतपत्रों से जुड़ी तार्किक चुनौतियों को देखते हुए।
- भरोसा और विश्वास: चुनाव परिणामों की वैधता को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

समाधान

- तकनीकी नवाचार: वीवीपीएटी पेपर पर्चियों की गिनती के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार करने की संभावना की खोज सत्यापन प्रक्रिया की सटीकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- बढ़ी हुई निगरानी: छेड़छाड़ के संदेह के मामले में सिंबल लोडिंग इकाइयों को सील करने और ईवीएम मेमोरी के सत्यापन के संबंध में निर्देश संभावित हेरफेर के खिलाफ निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा के प्रयासों को दर्शाते हैं।
- हितधारक जुड़ाव: सत्यापन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को शामिल करना, सत्यापन खर्चों के लिए आवेदकों पर वित्तीय बोझ डालते हुए, चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करने में हितधारक जुड़ाव और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

सारांश : ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखने और चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति की वकालत करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जनता के विश्वास को बनाए रखने की अनिवार्यता के साथ नवाचार को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हुए, भारत के लोकतांत्रिक चुनावों की अखंडता को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

ईवीएम को प्री-प्रोग्राम करना संभव नहीं: न्यायालय

राजव्यवस्था:

विषय : भारत में चुनाव

प्रारंभिक परीक्षा : ईवीएम

मुख्य परीक्षा : ईवीएम में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी

प्रसंग : सुप्रीम कोर्ट की हालिया घोषणा बूथ-कैप्चरिंग जैसी ऐतिहासिक चुनौतियों का समाधान करते हुए चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। चुनावी कदाचार को रोकने और मतदान और गिनती की प्रक्रिया में तेजी लाने में ईवीएम की प्रभावकारिता की न्यायालय की पुष्टि भारत के लोकतांत्रिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

समस्याएँ

- ईवीएम की प्रभावकारिता: व्यापक रूप से अपनाए जाने के बावजूद, ईवीएम की अखंडता और छेड़छाड़ की संवेदनशीलता के बारे में संदेह बना हुआ है, जिसके लिए न्यायिक जांच और सत्यापन की आवश्यकता है।
- बूथ-कैप्चरिंग पर चिंताएँ: भारत के चुनावी अतीत का अवशेष, बूथ-कैप्चरिंग का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हितधारक ऐसी गड़बड़ियों को रोकने में ईवीएम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर रहे हैं।
- तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियाँ: कागज के उपयोग, तार्किक बाधाओं और गिनती प्रक्रिया में त्रुटियों जैसी चुनौतियों के लिए ईवीएम के लाभों और सीमाओं के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

महत्व

- चुनावी प्रक्रिया का आधुनिकीकरण: ईवीएम के लाभों को अदालत की मान्यता चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और इसकी दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है।
- चुनावी कदाचार की रोकथाम: वोट डालने की दर को सीमित करके और वास्तविक समय की निगरानी क्षमता प्रदान करके, ईवीएम बूथ-कैप्चरिंग जैसी चुनावी कदाचार के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जिससे चुनाव की पवित्रता की रक्षा होती है।
- प्रशासनिक सुविधा: ईवीएम को अपनाने से मतदान और गिनती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है, त्रुटियां कम हो जाती हैं और पारंपरिक पेपर मतपत्रों से जुड़ी तार्किक चुनौतियां कम हो जाती हैं, जिससे प्रशासनिक सुविधा और दक्षता में वृद्धि होती है।

समाधान

- बढ़ी हुई सार्वजनिक जागरूकता: ईवीएम की मजबूती और अखंडता के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना गलतफहमियों को दूर करने और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- तकनीकी सुरक्षा उपाय: कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और नियमित ऑडिट के साथ ईवीएम प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति, चुनावी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
- हितधारक जुड़ाव: चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और न्यायपालिका के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने से चुनावों की अखंडता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से संचालित समाधानों के विकास में मदद मिल सकती है।

सारांश : नकली तरीके से ईवीएम की प्री-प्रोग्रामिंग की असंभवता के बारे में सुप्रीम कोर्ट का दावा चुनाव की अखंडता की रक्षा करने और चुनावी कदाचार को रोकने में ईवीएम की प्रभावकारिता की पुष्टि करता है। जैसे-जैसे भारत अपनी लोकतांत्रिक यात्रा जारी रख रहा है, चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, जनता का विश्वास बढ़ाने और तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने के ठोस प्रयास अपरिहार्य होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने पर दोबारा मतदान कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

राजव्यवस्था:

विषय: भारत में चुनाव

प्रारंभिक परीक्षा : नोटा

मुख्य परीक्षा : नोटा प्रावधानों का महत्व

प्रसंग : जिन निर्वाचन क्षेत्रों में "उपरोक्त में से कोई नहीं" (नोटा) विकल्प बहुमत वोट प्राप्त करता है, वहां नए सिरे से चुनाव कराने की याचिका के संबंध में चुनाव आयोग (ईसी) को सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश चुनाव सुधारों और इसकी भूमिका भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नोटा के आसपास उभरती बहस को रेखांकित करता है।

समस्याएँ

- नोटा की वैधता: याचिका एक मतदान विकल्प के रूप में नोटा की वैधता और निहितार्थ पर सवाल उठाती है, खासकर उन मामलों में जहां यह चुनाव में अधिकांश वोट सुरक्षित करता है।
- उम्मीदवारों पर प्रतिबंध: याचिका में नोटा से कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों पर जुर्माना लगाने की वकालत की गई है, जिसमें चुनाव लड़ने से पांच साल के प्रतिबंध का प्रस्ताव किया गया है।
- नियमों का एकसमान अनुप्रयोग: विभिन्न राज्यों में नोटा के व्यवहार में विसंगतियाँ नोटा के संबंध में चुनावी नियमों और प्रक्रियाओं में एकरूपता की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

महत्व

- लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति: नोटा मतदाताओं को सभी उपलब्ध उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे पसंद और जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा मिलता है।
- चुनाव सुधार: याचिका में नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों पर दंड की मांग की गई है, जो जवाबदेही बढ़ाने और अपर्याप्त जन समर्थन वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से चुनावी सुधारों पर जोर देता है।
- चुनावी प्रथाओं में एकरूपता: राष्ट्रव्यापी चुनावी प्रक्रिया की स्थिरता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए राज्यों में नोटा नियमों के आवेदन में एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

समाधान

- नियमों का मानकीकरण: चुनाव आयोग को चुनावी प्रथाओं में स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में नोटा के व्यवहार के संबंध में नियमों के मानकीकरण पर विचार करना चाहिए।

- सार्वजनिक जागरूकता: मतदाताओं को नोटा के महत्व और निहितार्थ के बारे में शिक्षित करने से उन्हें सूचित विकल्प चुनने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सशक्त बनाया जा सकता है।
- हितधारक परामर्श: राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ जुड़ने से नोटा और चुनावों पर इसके प्रभाव के संबंध में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए सर्वसम्मति-संचालित समाधान के विकास की सुविधा मिल सकती है।

सारांश : नोटा के संबंध में याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चुनाव सुधारों और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता अभिव्यक्ति की उभरती भूमिका के आसपास चल रहे विमर्श को रेखांकित करता है। जैसा कि चुनाव आयोग उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है, देश में चुनावों की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

मशीनों पर भरोसा रखें:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

राजव्यवस्था:

विषय: भारत में चुनाव

मुख्य परीक्षा: भारत में ईवीएम के उपयोग की चुनौतियाँ

प्रसंग : मशीनों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर भरोसा, भारत में जांच और बहस का विषय रहा है, खासकर चुनावी अखंडता के संदर्भ में। ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों द्वारा छोड़े गए पेपर ट्रेल के सत्यापन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इस मुद्दे पर चल रही बहस को रेखांकित करता है।

समस्याएँ

- 100% सत्यापन की मांग: कुछ हितधारकों ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए ईवीएम द्वारा छोड़े गए पेपर ट्रेल के 100% सत्यापन की मांग की है।
- तकनीकी सुरक्षा उपाय: ईवीएम और मतदान प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मौजूदा तकनीकी सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के बारे में सवाल उठाए गए हैं।
- चुनाव आयोग में अविश्वास: ईवीएम के संभावित हेरफेर के संबंध में आशंकाओं और संदेह की उपस्थिति भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) में अविश्वास के स्तर को इंगित करती है।

महत्व

- चुनावी प्रक्रिया की अखंडता: चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए ईवीएम पर भरोसा महत्वपूर्ण है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए मतदान और मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

समाधान

- तकनीकी प्रगति: सत्यापन प्रक्रिया की अखंडता और दक्षता को बढ़ाने के लिए मशीनों के माध्यम से वीवीपैट पर्चियों की गिनती और वीवीपैट इकाइयों में लोड किए गए बारकोडिंग प्रतीकों जैसी तकनीकी प्रगति को शामिल करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
- उन्नत निरीक्षण: प्रतीक लोडिंग इकाइयों को सुरक्षित करने और ईवीएम में माइक्रो-नियंत्रकों के सत्यापन की सुविधा सहित निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने से संभावित छेड़छाड़ और हेरफेर के बारे में चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।
- सार्वजनिक जागरूकता: ईवीएम की कार्यप्रणाली और सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करने से अविश्वास को कम किया जा सकता है और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाया जा सकता है।

सारांश : ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट के भरोसे की पुष्टि, आशंकाओं को दूर करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के उद्देश्य से दिए गए निर्देशों के साथ, चुनावी संस्थानों में जनता के विश्वास को बनाए रखने की अनिवार्यता के साथ तकनीकी नवाचार को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करती है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. अध्ययन में कहा गया है कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए सौर विकिरण उपलब्ध है

प्रसंग : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से भारत भर में कई स्थानों पर बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध सौर विकिरण में कमी की चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत मिलता है।

- संगठन की वैज्ञानिक पत्रिका मौसम में प्रकाशित, विश्लेषण सौर पैनलों की दक्षता पर बढ़े हुए एयरोसोल लोड और बादलों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है, साथ ही इन प्रभावों को कम करने के लिए संभावित समाधान भी सुझाता है।

सौर विकिरण को कम करने में योगदान देने वाले कारक

- एरोसोल लोड में वृद्धि: कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन जलने और धूल से निकलने वाले महीन कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे जमीन से दूर कर देते हैं, जिससे बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध सौर विकिरण की मात्रा कम हो जाती है।

- बादल छाना: एरोसोल घने बादलों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो सकती है और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण में कमी आ सकती है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) क्षमता में गिरावट: 13 इन-हाउस स्टेशनों पर विकिरण प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों सहित भारत के विभिन्न स्थानों में एसपीवी क्षमता में सामान्य गिरावट आई है।
- सौर पार्कों पर प्रभाव: बड़े सौर पार्क वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में, एसपीवी क्षमता में कमी का अनुभव हो रहा है, जिससे भारत के महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा लक्ष्यों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।
- वर्तमान सौर क्षमता: भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 81 गीगावॉट है, जो कुल स्थापित बिजली का लगभग 17% है। हालाँकि, क्षमता वृद्धि की दर अनुमान से धीमी रही है, जिसमें COVID-19 महामारी सहित विभिन्न कारक प्रक्षेपवक्र को प्रभावित कर रहे हैं।

महत्व

- ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी बिजली की आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सौर ऊर्जा से आने की उम्मीद है। हालाँकि, घटता सौर विकिरण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक चुनौती पैदा करता है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: सौर विकिरण को कम करने में योगदान देने वाले कारकों को संबोधित करना न केवल ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए बल्कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जुड़े पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

समाधान

- कुशल सौर प्रौद्योगिकी में निवेश: अधिक कुशल सौर पैनल स्थापित करने से कम सौर विकिरण के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है, जिससे सौर ऊर्जा प्रणालियों के समग्र प्रदर्शन और उत्पादन में वृद्धि होगी।
- नीति समर्थन: नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने और उन्नत सौर प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से निरंतर सरकारी समर्थन आवश्यक है।
- अनुसंधान और नवाचार: एरोसोल गतिशीलता और बादल निर्माण में आगे का शोध सौर विकिरण पर उनके प्रभाव को कम करने में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे अधिक प्रभावी समाधानों के विकास को सक्षम किया जा सकता है।

2. नीलगिरि तहर सर्वेक्षण में पर्यवेक्षक होंगे IUCN प्रतिनिधि

प्रसंग : तमिलनाडु सरकार राज्य पशु नीलगिरि तहर को लुप्तप्राय स्थिति से हटाने के उद्देश्य से एक समकालिक सर्वेक्षण शुरू कर रही है। 29 अप्रैल से होने वाला सर्वेक्षण, इस प्रजाति की आबादी का अनुमान

लगाना चाहता है, जो निवास स्थान के नुकसान और विखंडन के कारण अपने अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रही है।

समस्याएँ

- लुप्तप्राय स्थिति: नीलगिरि तहर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I के तहत संरक्षित किया गया है, जो संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता को उजागर करता है।
- जनसंख्या अनुमान: सर्वेक्षण का उद्देश्य नीलगिरि तहर की वर्तमान जनसंख्या का आकलन करना है, विशेष रूप से अनामलाई टाइगर रिजर्व (एटीआर) में, मौजूदा संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना और हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।
- पर्यावास विखंडन: पर्यावास हानि और विखंडन नीलगिरि तहर के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, मानवीय गतिविधियाँ उनके प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण करती हैं और उनके पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करती हैं।

महत्व

- संरक्षण प्राथमिकता: नीलगिरि तहर को लुप्तप्राय स्थिति से हटाना एक महत्वपूर्ण संरक्षण सफलता का प्रतीक होगा और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित करेगा।
- जैव विविधता संरक्षण: नीलगिरि तहर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है, जो जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है।
- सहयोगात्मक प्रयास: विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) भारत, भारतीय वन्यजीव संस्थान और आईयूसीएन जैसे संगठनों के साथ सहयोग संरक्षण पहल, प्रभावी परिणामों के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने में बहु-हितधारक भागीदारी के महत्व को दर्शाता है।

समाधान

- जनसंख्या निगरानी: निवास स्थान बहाली और सुरक्षा उपायों के साथ नीलगिरि तहर आबादी की नियमित निगरानी, उनकी संख्या और वितरण को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- पर्यावास संरक्षण: नीलगिरि तहरों के लिए विशेष रूप से केरल सीमा पर महत्वपूर्ण आवासों और गलियारों की पहचान करना और उनकी सुरक्षा करना, उनके दीर्घकालिक अस्तित्व और आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- सामुदायिक सहभागिता: जागरूकता कार्यक्रमों, आजीविका सहायता और टिकाऊ पर्यटन पहल के माध्यम से संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (स्तर - कठिन) [PYQ 2019]

1. रामसर कन्वेंशन के तहत, भारत सरकार की ओर से भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य है।
2. आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए थे।
3. आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आर्द्रभूमि के जल निकासी क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

व्याख्या :

कथन 1 सही नहीं है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार, "प्रत्येक अनुबंधित पक्ष आर्द्रभूमि पर प्रकृति भंडार स्थापित करके आर्द्रभूमि और जलपक्षी के संरक्षण को बढ़ावा देगा, चाहे वे सूची में शामिल हों या नहीं, और उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से प्रदान करेगा"।

- इस प्रकार भारत सरकार के लिए भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों की सुरक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य नहीं है।

कथन 2 सही नहीं है, बेहतर संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करने और भारत में मौजूदा आर्द्रभूमि के क्षरण को रोकने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 अधिसूचित किया गया था।

- ये नियम रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

कथन 3 सही है, केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार "आर्द्रभूमि" शब्द का तात्पर्य दलदल, पीटलैंड, अंतर्देशीय जल जैसे झीलें, जलाशय, टैंक, बैकवाटर, लैगून, खाड़ियाँ, मुहाना जैसे क्षेत्रों से है और इसमें आर्द्रभूमि के जल निकासी क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल हैं।

प्रश्न 2. गुप्त काल के दौरान भारत में जबरन श्रम (विष्टि) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? (स्तर - कठिन) PYQ 2019

- (a) इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो लोगों द्वारा चुकाया जाने वाला एक प्रकार का कर था।
- (b) यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पूरी तरह से अनुपस्थित था।
- (c) मजदूर मजदूर साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था।
- (d) मजदूर के बड़े बेटे को बेगार मजदूर बनाकर भेज दिया गया

उत्तर: a

व्याख्या :

- विष्टि को राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो लोगों द्वारा एक प्रकार का कर था।
- जुनागढ़ शिलालेख में विष्टि को कर के एक रूप के रूप में उल्लेख किया गया है, जो इंगित करता है कि इसे गुजरात और मालवा क्षेत्र से निकाला गया था।
- विष्टि के लिए किसी को भी मजदूर के रूप में भेजा जा सकता था, जरूरी नहीं कि मजदूर का सबसे बड़ा बेटा ही हो।
- मजदूर मजदूर किसी भी साप्ताहिक वेतन के हकदार नहीं थे।
- अतः विकल्प a सही है।

प्रश्न 3. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सुकून का उद्देश्य क्या था? (PYQ-CSE-2007)
(स्तर-कठिन)

- इंडोनेशिया में भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के प्रयासों में इंडोनेशिया की मदद करना
- मध्य पूर्व में संघर्ष के दौरान लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकालना
- उत्तरी अफ्रीका के दारफूर क्षेत्र में गृहयुद्ध पीड़ितों की मदद के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सहायता करना
- आंध्र प्रदेश में अन्य किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के बाद किसानों को राहत पैकेज प्रदान करना

उत्तर: b

व्याख्या: ऑपरेशन सुकून 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान संघर्ष क्षेत्र से भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों, साथ ही भारतीय पत्नियों के साथ लेबनानी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन था।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स स्थित है? (CSE-PYQ-2008)
(स्तर-कठिन)

- अलकनंदा
- भागीरथी
- धौलीगंगा
- मन्दाकिनी

उत्तर: b

व्याख्या: टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? (स्तर - सरल) [PYQ- 2015]

- भारतीय रिज़र्व बैंक
- आर्थिक मामलों का विभाग
- श्रम ब्यूरो
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

उत्तर: c

व्याख्या :

- औद्योगिक श्रमिकों और कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई उन वस्तुओं की एक टोकरी की खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है जिनका एक औद्योगिक श्रमिक आम तौर पर उपभोग करता है।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई को सामान्य मुद्रास्फीति का उपयुक्त संकेतक माना जा रहा है, जो आम लोगों के जीवनयापन की लागत पर मूल्य वृद्धि का सबसे सटीक प्रभाव दिखाता है।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई में शामिल वस्तुओं में भोजन, पान, सुपारी, तंबाकू, ईंधन और प्रकाश व्यवस्था, आवास, कपड़े और विविध खर्च शामिल हैं, जिसमें भोजन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुदृढ़ करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [सामान्य अध्ययन-2, राजव्यवस्था] (Examine the role of the Supreme Court in reinforcing the integrity of the electoral process in India. (10 marks, 150 words) [GS-2, Polity])

प्रश्न 2. भारतीय चुनावों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (नोटा) को काल्पनिक उम्मीदवार मानने के निहितार्थों की जांच कीजिए। चर्चा कीजिए कि क्या अनिवार्य पुनर्मतदान की नीति लागू करने से जहां नोटा को अधिकांश वोट मिलते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बढ़ सकती है। (10 अंक, 150 शब्द) [सामान्य अध्ययन-2, राजव्यवस्था] (Examine the implications of treating 'None of the Above' (NOTA) as a fictional candidate in Indian elections. Discuss whether implementing a policy of mandatory re-polls where NOTA receives the majority of votes could enhance the democratic process. (10 marks, 150 words) [GS-2, Polity])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)